चतुर्थ अध्याय

हिंदी प्रयोग की समस्याओं के समाधान

प्रास्ताविक :

तृतीय अध्याय में हिंदी-कार्यान्वयन में आनेवाली विभिन्न समस्याओं का विवेचन देखने के पश्चात दृष्टिगोचर होता है कि वैधानिक प्रावधान में स्थित विसंगतियाँ , सरकारी नीतियों में स्थित खोखलापन, अंग्रेजी शिक्षा माध्यम तथा पारिभाषिक (तकनीकी) शब्दों का अभाव आदि गंभीर समस्याएँ हैं । किंतु इनसे भी गंभीर समस्या है-अधिकारी एवं कर्मचारियों में स्थित हिंदी विरोधी मानसिकता । इस मानसिकता को अगर हिंदी अनुराग में बदलना संभव हो तो हिंदी-कार्यान्वयन की राह में आनेवाली अधिकांश समस्याएँ अपनेआप दूर हो जाएंगी और अन्य समस्याओं को यही सब लोग मिलकर दूर कर देंगे। हिंदी-कार्यान्वयन की राह में आनेवाली प्रधान समस्याओं के कुछ महत्त्वपूर्ण समाधानों का विवेचन यहाँ प्रस्तुत है।

४.१ राष्ट्रभाषाभिमान जागृति :

राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में आनेवाली अधिकांश समस्याओं का एक ही उत्तर है- राष्ट्रभाषाभिमान जागृति। राष्ट्रभाषा का अभिमान न होना यह मनो-वैज्ञानिक समस्या है । इस समस्या का हल हो जाएगा तो राजभाषा कार्यान्वयन की समस्या अपनेआप सुलझ जाएगी। जिस प्रकार राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज स्वतंत्रता के प्रतीक हैं, उसी प्रकार राष्ट्रभाषा भी स्वतंत्र राष्ट्र का प्रतीक है। जिस प्रकार हम राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज का सम्मान करते हैं और उनकी गरिमा बढाने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार हमें राजभाषा का भी सम्मान करना चाहिए और उसकी गरिमा बढ़ाने, विश्व में उसकी प्रतिमा ऊँचा करने और उपयोगिता बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज का सम्मान करने के लिए १५ अगस्त-स्वतंत्रता दिवस, २६ जनवरी-गणतंत्र दिवस आदि से और कुछ समारोहों के अंत में राष्ट्रगीत से समारोह का समापन करना आदि तय है। किंतु राजभाषा का हमें दिन-प्रतिदिन के व्यवहार में सम्मान करना चाहिए। रोज उसका प्रयोग करना चाहिए। सभी देशवासियों के मन में राष्ट्रभाषाभिमान की जागृति हो जाएगी तो यह कार्य कठिन नहीं होगा। राष्ट्रीय चेतना ही राष्ट्रभाषाभिमान की जागृति कर सकती है।

सभी देशवासियों को अपनी राजभाषा पर गर्व होना चाहिए। सब समझते भी है कि यह एक राष्ट्रीयता का अंग है । बचपन से ही पाठशालाओं में राजभाषा का महत्त्व एवं उसका सम्मान करना सिखाना चाहिए। बचपन में ही देश के प्रति एवं राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीकों के प्रति प्रेम जगाया जा

सकता है। अपने राष्ट्रगीत और राष्ट्रध्वज का जी-जान से सम्मान करनेवाले लोगों को राजभाषा का डटकर विरोध करते हुए देखकर अचरज होता है। अहिंदी भाषिक ही कार्यालयों में हिंदी-कार्यान्वयन का विरोध करते हैं ऐसा नहीं। हिंदी भाषिक भी हिंदी-कार्यान्वयन का विरोध करते हुए दीखते हैं।

हिंदी हमारी राजभाषा है। उसका विरोध करना राष्ट्रीयता के विरुद्ध है, यह भाव हिंदी विरोधी मानसिकता रखनेवालों के मन में जगते ही नहीं। इसके पीछे कारण है-अपराधबोध का अभाव। इस देश के नागरिक के द्वारा राजभाषा का विरोध किए जाना यह अपराध है इस भावना का अनुभव हिंदी का विरोध करनेवालों को कराना चाहिए। नागरिकों के मन में राजभाषा के प्रति सम्मान एवं प्यार की भावना को जगा देने से सभी समस्याओं पर मात करते हुए सभी बड़े प्यार से एवं बेझिझक हिंदी का प्रयोग करेंगे। यही सब लोग मिलकर चुटकियों में हिंदी-कार्यान्वयन की राह में आनेवाली समस्याओं का हल निकालेंगे। हिंदी विरोधी मानसिकता के कारण सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कामकाज करना टालने के लिए की जानेवाली बहानेबाजी अपनेआप बंद हो जाएगी। अतः हिंदी विरोधियों के मन में राष्ट्रभाषाभिमान जागृति करना, यह हिंदी-कार्यान्वयन की राह में आनेवाली अधिकांश समस्याओं (जिसमें अधिकांश बहानेबाजी है) का सबसे महत्त्वपूर्ण उपाय है।

४.२ वैधानिक प्रावधानों में संशोधन :

हिंदी-कार्यान्वयन की दिशा में वैधानिक प्रावधानों में सुधार मील का पत्थर ही साबित होगा। क्योंकि संविधान ने हिंदी को राजभाषा का पद देकर भी विभिन्न अनुच्छेदों एवं धाराओं द्वारा उसके सभी अधिकार छीन लिए हैं। इसलिए वैधानिक प्रावधानों में राजभाषा हिंदी से संबंधित धाराओं में स्थित विसंगतियों को हटाने के लिए उनमें संशोधन करना अत्यंत आवश्यक है।

भारत के अनेक प्रदेश प्रादेशिक भाषाओं से जुड़े हैं। बंगला कहते ही बंगाल, मराठी कहते ही महाराष्ट्र, कन्नड़ कहते ही कर्नाटक, पंजाबी कहते ही पंजाब प्रदेश नजरों के सामने घूम जाते हैं। ये भाषाएँ अपने-अपने प्रदेश की विशेषताएँ हैं। तब वह कौनसी भाषा है, जिससे हमें किसी प्रदेश की नहीं बल्कि देश या राष्ट्र का बोध हो सकें? इसका एकही उत्तर है 'हिंदी'। हिंदी कहते ही कोई एक ही प्रदेश याद आता नहीं। फिर भी भारतीय संविधान में हिंदी को भी प्रादेशिक भाषाओं की सूची में ही समाविष्ट कर दिया है।

चाहे अंग्रेजी विश्वभाषा हो उसके माध्यम द्वारा चाहे कितने ही वैज्ञानिक अनुसंधान हमें प्राप्त हो । किंतु अंग्रेजी को राजभाषा घोषित करना असंभव है। क्योंकि वह विदेशी भाषा है। अंग्रेजी उच्च-वर्ग तक ही सीमित रही है। वह करोड़ों श्रमिकों की भाषा नहीं है। अतः वैज्ञानिक अनुसंधानों को अंग्रेजी में प्राप्त करके, उन्हें हिंदी एवं प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम द्वारा देश के कोने-कोने में पहुँचाना चाहिए। ताकि देश की साधारण जनता तक वे आसानी से पहुँच सकें। पूरे विश्व में आज योग विज्ञान फैल रहा है, जो कि संस्कृत में है। क्या इस ज्ञान के लिए लोग संस्कृत भाषा सीख रहे हैं ? नहीं। कुछ गिने-चुने व्यक्तियों ने(जिसमें अधिकांश भारतीय हैं) संस्कृत सीखकर उसे विश्व के लोगों के लिए अंग्रेजी मे अनूदित किया है। क्या हम भी ऐसा नहीं कर सकते?

संविधान के अनुच्छेद ३४३ की धारा(१) की तहत हिंदी को राजभाषा पद का गौरव प्रदान किया गया है। परंतु उसे इसी अनुच्छेद की तीसरी धारा के द्वारा निष्प्रभ कर दिया है। धारा (३) द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि १५ वर्ष की अवधि के समाप्त होने के बाद भी वह चाहे तो अंग्रेजी के प्रयोग को यथावत रखने के लिए विधि द्वारा कोई उपबंध कर सकेगी। इस प्रकार संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा का पद देना यह एक पाखंड है। इसी धारा के कारण संविधान को लागू होकर ५२ वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अंग्रेजी का निर्बाध प्रयोग यथावत जारी है। संविधान की उपर्युक्त धारा ने राजभाषा हिंदी के मार्ग पर काँटें बोए हैं। धारा(३) के कारण ही अंग्रेजी के लिए निष्कंटक मार्ग खुला है। इसी के तहत अनेक आदेशों, कार्यालय ज्ञापनों द्वारा अंग्रेजी के धारावाही प्रयोग के प्रावधान किए जा रहे हैं। इससे हिंदी-कार्यान्वयन की गति में बाधा ही नहीं आई है, तो हिंदी-कार्यान्वयन की गति करीबन रुक गई है। अतः धारा(३) को संविधान से हटाना चाहिए।

अनुच्छेद ३४८ के अनुसार न्यायालय के नियमों एवं आदेशों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी में होंगे । अनुच्छेद ३४८ के द्वारा अंग्रेजी के प्रयोग को अधिक बल प्रदान किया गया है। क्या हिंदी में प्राधिकृत पाठ देने की क्षमता नहीं है? क्या हिंदी पाठ एवं शब्दों के प्रति हमेशा संदिग्धता ही दिखाई जाएगी? निरंतर प्रयोग से शब्दों के अर्थ स्पष्ट होते जाते हैं। शब्दों का प्रयोग ही नहीं किया गया तो उनके अर्थों को गहराई कैसे प्राप्त होगी? अंग्रेजी से पहले फारसी राजभाषा थी? फारसी से पहले क्या हिंदुस्तान में न्यायदान का काम नहीं होता था? इस अनुच्छेद को भी बदलकर न्यायालयों के प्राधिकृत पाठ हिंदी में होंगे-इस दृष्टि से सुधार होना आवश्यक है। शुरु-शुरु में अगर कोई हिंदी शब्द संदिग्धता निर्माण करता हो तो उस शब्द के साथ कोष्ठक में अंग्रेजी शब्द रखा जा सकता है। जैसे-जैसे शब्दों का

निरंतर प्रयोग होता जाएगा, उनके अर्थ भी स्पष्ट होते जाएंगे। हिंदी-कार्यान्वयन से शब्दों की आदत पड़ जाएगी। अंग्रेजी में एक शब्द के अनेक अर्थ हैं। निरंतर प्रयोग के कारण ही वे संदिग्धता निर्माण नहीं करते, उसी प्रकार निरंतर प्रयोग से हिंदी के शब्द भी ठोस अर्थ धारण करते जाएंगे।

जिन-जिन कार्यालय ज्ञापनों में हिंदी के प्रयोग के संबंध में "जहाँ तक संभव हो, यदि संभव हो"[1] आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है और हिंदी-कार्यान्वयन के सम्मुख अनिश्चितता की स्थिति निर्माण की गई है। इसे हटाना चाहिए। इन कार्यालय ज्ञापनों में भी कुछ स्थानों पर अंग्रेजी का पाठ ही प्रामाणिक माना जाएगा कहकर हिंदी के प्रति जो अविश्वास प्रकट किया है, उसे दूर करना चाहिए। नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी एक सक्षम भाषा है। उसके साथ ही समय की माँग के अनुसार भाषा में नए शब्द गढ़ने अथवा उपलब्ध शब्दों को प्रयुक्त करने की इच्छा उस भाषा-भाषियों में होनी चाहिए। यह क्षमता हममें अवश्य है। फारसी और अंग्रेजी से पहले यह देश भाषा विहिन नहीं था, बल्कि इसके विपरीत यह देश नानाविध भाषाओं से समृद्ध रहा है। यहाँ भी राजकाज चलता था। न्यायदान, व्यापार, अर्थक्षेत्र, कलाक्षेत्र आदि से संपन्न विशाल भारत की तब जो संपर्क भाषाएँ थी(संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि) उनमें इन सभी विषयों के शब्द प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं ही।

फारसी आई तो उसने देखते-देखते यहाँ की भाषाओं को उखाड़कर अपने पाँव जमा लिये। अंग्रेजी आई तो कुछ ही सालों में उसने फारसी को उखाड़कर अपनी जगह बना ली। क्या पराए लोगों द्वारा इस प्रकार थोंपी गई भाषा पर ही हम हमेशा निर्भर रहेंगे और अपनी भाषा को नकारते रहेंगे?

संविधान में भाषा संबंधी अनेक अंतर्विरोध समाएँ हैं। जो हिंदी-कार्यान्वयन की राह पर पर्वत की तरह अडिग खड़े हैं। उन्हें हटाना अत्यंत आवश्यक है। ताकि हिंदी-कार्यान्वयन का रथ अपने राजमार्ग पर द्रुत गति से दौड़ सकें। अतः संविधान में संशोधन करके अंग्रेजी के निर्बाध प्रयोग के द्वार खोलनेवाले तथा हिंदी के प्रयोग पर अविश्वास दिखानेवाले तथा रोक लगानेवाले अनुच्छेदों को हटाना चाहिए।

---

१. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, दिल्ली द्वारा जारी दि. ८ दिसंबर, १९५५ का कार्यालय ज्ञापन।

४.३ राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियमों को ठोस बनाना :

सरकारी कार्यालयों में हिंदी-कार्यान्वयन को लागू करने के उद्‌देश्य से गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की ओर से समय-समय पर कार्यालय ज्ञापन, आदेश आदि प्रसारित किए जाते हैं। इनमें प्रकाशित नियमों में से अधिकांश नियम खोखले हैं। इन्हीं नियमों में से एक नियम है-हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर-"हिंदी में पत्र आदि का उत्तर, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हों और किसी भी राज्य सरकार, व्यक्ति या केंद्रीय सरकार के कार्यालय से प्राप्त हों, केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिया जाए।"[१] इसका अर्थ यह है कि हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में ही देना चाहिए, अंग्रेजी में देने से नियम का उल्लंघन हो जाएगा। मूलतः सभी कार्यालयों में आवक हिंदी पत्रों की संख्या न के बराबर होती हैं। कभी-कभार आए एकाध हिंदी आवक पत्र का उत्तर हिंदी में देने से नियम की पूर्ति तो हो जाती है, किंतु हिंदी-पत्राचार का प्रतिशत बढ़ता ही नहीं। इसलिए मूलतः हिंदी-पत्राचार बढ़े इस प्रकार उपर्युक्त नियम को बदलना चाहिए।

राजभाषा अधिनियम धारा३(३) के अंतर्गत हिंदी समाचार-पत्र में अंग्रेजी निविदा छापने से नियम का उल्लंघन हो जाता है। कोल्हापुर दूरसंचार के दि. १७/०६/ २००१ की बैठक के वृत्तांत में लिखा है कि "हिंदी समाचार पत्र में अंग्रेजी निविदा छापने से राजभाषा अधिनियम धारा ३(३) का उल्लंघन हो जाता है। इस नियम को बताने के पश्चात सहायक महाप्रबंधक, कोल्हापुर दूरसंचार से जानकारी मिली कि हिंदी अखबार में अंग्रेजी निविदा प्रकाशित नहीं की जाती। नियम का उल्लंघन नहीं किया जाता ।"[२] अंग्रेजी समाचार-पत्रों में अंग्रेजी निविदा छापकर कोई भी इस नियम के उल्लंघन से साफ-साफ बच सकता है और हिंदी में निविदा छापना टाल सकता है। सरकारी कार्यालय ही नहीं बड़े-बड़े उद्‌योगपति भी हिंदी में निविदा एवं विज्ञापन छापने से आनाकानी करते हैं। फलतः नवभारत टाइम्स जैसे हिंदी समाचार-पत्र में भी अंग्रेजी विज्ञापन एवं निविदाएँ छपती हैं। अगर नहीं छापेंगे तो पैसों की कमी के कारण समाचार-पत्र बंद भी पड़ सकता है। किंतु अंग्रेजी अखबारों में हिंदी निविदा और विज्ञापन छापना तो दूर की बात है, एक अक्षर भी हिंदी का दिखाई नहीं देता। राजभाषा में छपनेवाले समाचार -पत्रों का यह हाल है। उपर्युक्त नियम को इस प्रकार बदलना चाहिए कि साल में प्रकाशित किए

---

१. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय दिल्ली-राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम-पुस्तक, पृष्ठ-२.

२. कोल्हापुर दूरसंचार-हिंदी अनुभाग, क्र. केटीडी/जी-१८/हिंदी बैठकें/१३ कोल्हापुर दि. १३/०६/२००१

जानेवाले कुल निविदाओं में से कम-से-कम ५० प्रतिशत निविदाएँ तो हिंदी में प्रकाशित की जानी चाहिए। फिर ये हिंदी निविदाएँ चाहे हिंदी समाचार-पत्र में छपे या अंग्रेजी।

संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली में लिखा है-"हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों को भी हिंदी पत्रों में सम्मिलित किया जा सकता है।"[1] क्या अर्थात हिंदी में हस्ताक्षर करने से अंग्रेजी पत्र को हिंदी माना जाएगा? अगर ऐसा हो तो हिंदी पत्र के नाचे अंग्रेजी हस्ताक्षर करने से उस पत्र को अंग्रेजी भाषा का माना जाना चाहिए। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त होकर पचास से भी अधिक वर्ष बीत जाने पर भी स्थिति यह है। गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग को आदेश-पत्र जारी करना चाहिए कि हर जिले के हर सरकारी कार्यालय को उसके कुल जावक पत्राचार में से कम-से-कम पचास प्रतिशत पत्राचार तो मूलतः हिंदी में ही करना चाहिए। ५० प्रतिशत पत्राचार हिंदी में नहीं होगा तो हिंदी-कार्यान्वयन के नियम का उल्लंघन होगा। राजभाषा समिति की प्रश्नावली जो मात्र हर जिले के हिंदी अनुभाग को भेजी जाती है, द्विभाषा में है। उसे मात्र हिंदी में छापना आवश्यक है। क्या हिंदी अनुभाग के कर्मचारी भी हिंदी नहीं समझ पाते ? समय-समय पर जारी होनेवाले नियमों में स्थित चोर रास्तों को हटाकर इन नियमों को अधिक ठोस बनाना चाहिए। ताकि नियम का उल्लंघन हुआ कहने की गुंजाइश न रहे। हिंदी में काम करने से आनाकानी करना यह नियम का उल्लंघन है। "क और ख" क्षेत्र में मूलतः कम-से-कम ५० प्रतिशत हिंदी पत्राचार होना चाहिए, इस प्रकार का आदेश गृह मंत्रालय को देना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि हिंदी को राजभाषा घोषित करके १-२ नहीं तो पूरे ५२ वर्ष हो गए हैं। अतः सरकारी नीतियों में निहित कमजोरियों को हटाना निहायत जरूरी है, ताकि सरकारी कार्यालयों में हिंदी-कार्यान्वयन सुचारू रूप से चल सकें और सही अर्थ में हिंदी को राजभाषा पद की प्राप्ति हो।

४.४ शिक्षा के ढ़ाँचे में परिवर्तन :

शिक्षा के ढ़ाँचे में अब आमूलाग्र परिवर्तन की आवश्यकता है। हिंदी में कामकाज करवाना हो तो पहले देश के नागरिकों को राजभाषा हिंदी का अच्छा ज्ञान प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। सबसे पहले अंग्रेजी पाठशालाओं की बेशुमार बाढ़ पर नियंत्रण रखना होगा। अहिंदी प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक पाठशाला में सभी विषय हिंदी माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था की

---

१. संसदीय राजभाषा समिति की निरीक्षण प्रश्नावली, पृष्ठ-७

जानी चाहिए। ताकि हिंदी माध्यम में पढ़नेवालों की और जिन अधिकारियों के तबादले होते रहते हैं, उनके बच्चों की भी शिक्षा की व्यवस्था हिंदी माध्यम द्वारा उपलब्ध हो। कोल्हापुर दूरसंचार के उप-महाप्रबंधक(क्षेत्र) श्री. एन.एस.गुप्तेजी का कहना है-"शिक्षा के ढाँचे में परिवर्तन होना चाहिए। बचपन से हिंदी पढ़ानी चाहिए। कोल्हापुर में कितनी हिंदी पाठशालाएँ हैं? मेरा तबादला होता रहता है। अगर मेरा आसाम में तबादला हो जाएगा तो वहाँ हिंदी पाठशालाएँ मिलेगी? मुझे अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में ही पढ़ाना होगा।"[१] यह उत्तर बार-बार स्थानांतरण होनेवाले अधिकारियों की विवशता को उजागर करता है। इस शिकायत को दूर करना बहुत ही आवश्यक है। अगर कोई अधिकारी सचमुच अपने बच्चों को हिंदी माध्यम में पढ़ाना चाहे तो भी सभी जगह हिंदी माध्यम की पाठशालाएँ उपलब्ध नहीं है।

सभी माध्यमों की पाठशालाओं में (अंग्रेजी, मराठी, कन्नड, तमिल आदि माध्यम) हिंदी भाषा पहली कक्षा से पढ़ाई जानी चाहिए, न की पाँचवीं कक्षा से। १ली कक्षा से इस देश के हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कि हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी की पढ़ाई की ओर गंभारता से ध्यान दिया जाना चाहिए। धीरे-धीरे विद्यार्थी को राजभाषा की परिभाषा से भी अवगत कराना होगा। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्त्व उसके मन पर अंकित हो जाना चाहिए।

विज्ञान के तीन विषय, चिकित्सा शास्त्र, अभियांत्रिकी शाखा आदि विषयों का अध्ययन और अध्यापन का प्रबंध भी हिंदी में किया जाए। इसके लिए सरकार और जनता दोनों की ओर से प्रामाणिक प्रयत्न होने चाहिए। स्नातक एवं स्नातकोत्तर पढ़ाई में भी हिंदी विषय होना चाहिए तथा उसके विकल्प में संस्कृत वा अन्य कोई भाषा नहीं होनी चाहिए। भाषा आएगी तभी नागरिक हिंदी में कार्य करने की ओर मुड़ेंगे । अतः सचमुच हिंदी-कार्यान्वयन कराना हो तो सरकार को नागरिकों को बचपन से ही हिंदी का अच्छा ज्ञान देना चाहिए।

४.५ तकनीकी समस्याओं का निराकरण :

तकनीकी समस्याओं में मुख्य समस्या है-पारिभाषिक(तकनीकी) शब्दावली का अभाव । तकनीकी विभाग होने के कारण दूरसंचार की कार्य-प्रणाली में हजारों तकनीकी शब्द आते हैं।

---

१. परिशिष्ट-२

दूरसंचार का तकनीक अंग्रेजी माध्यम द्वारा उपलब्ध होने के कारण मानक तकनीकी शब्दावली का होना आवश्यक है। इसके बारे में कोल्हापुर दूरसंचार के महाप्रबंधक श्री. आर.सी.कोलीजी का कहना है-"तकनीकी भाषा के कारण भी अडचने आती हैं। तकनीकी शब्दों के लिए हिंदी प्रतिशब्द न मिलने की वजह से।"[१] अतः तकनीकी शब्दों के हिंदी पर्याय या तो उपलब्ध नहीं अथवा उपलब्ध हो तो संबंधितों तक पहुँचाने की सुचारु व्यवस्था नहीं है।

तकनीकी समस्याओं में और एक महत्त्वपूर्ण समस्या है-संगणकीकरण। संगणक की भाषा अंग्रेजी होने के कारण संगणक पर होनेवाले सभी काम मात्र अंग्रेजी में ही किए जाते हैं। कोल्हापुर दूरसंचार के मुख्य वितरण ढाँचा(M.D.F.-Main Distribution Frame), पूछताछ केंद्र(Enquiry), बिलिंग, राजस्व, योजना, वाणिज्य, प्रशासन, रोकड़ आदि अनुभागों का संगणकीकरण हो गया है। इसके कारण भी हिंदी में काम करना कठिन हो गया है। इसके बारे में कोल्हापुर दूरसंचार के महाप्रबंधक श्री. आर.सी.कोलीजी के विचार हैं-"संगणक के माध्यम का अंग्रेजी होने से और हमारे कार्यालय के अधिकतर अनुभागों का संगणकीकरण होने से हिंदी में काम करना कठिन हो जाता है।"[२] इस समस्या को सुलझाने के लिए संगणक का हिंदी सॉफ्टवेअर विकसित करना आवश्यक है। चीन, जापान, रूस आदि देशों ने अपनी भाषा में संगणक की संचलन प्रणाली विकसित की है। विकसित सॉफ्टवेअर को पूर्ण गंभीरता से संपूर्ण देश में पहुँचाया जाना चाहिए। इसके बारे में कोल्हापुर दूरसंचार के उप-महाप्रबंधक(क्षेत्र) कहते हैं-"संगणक में ऑपरेटिंग सिस्टम हिंदी में बनाई जाएगी तो तकनीकी क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। ६० प्रतिशत से अधिक नागरिक हिंदी में एक्स्पर्ट हो जाएंगे। अमरिका में ३०-४० प्रतिशत भारतीय ही सॉफ्टवेअर इंजिनियरिंग में काम करते हैं। हमारे पास काबिल लोग हैं। सरकार उनसे हिंदी ऑपरेटिंग सिस्टम बनवाएँ।"[३]

हरिबाबू कंसल जी कहते हैं-"बिहार सरकार ने कम्प्यूटरों की एक बडी खरीद के लिए कंपनी से सौदा किया है, इस शर्त पर कि सारे कम्प्यूटर प्रोग्राम (वह प्रणाली जिससे कम्प्यूटर में जो जानकारी भरी जाती है उसके आधार पर इच्छित जानकारी मिलती है) हिंदी में होंगे। अब तक ये साँफ्टवेअर प्रोग्राम

---

१ परिशिष्ट-१

२ - वही -

३ परिशिष्ट-२

अंग्रेजी में ही उपलब्ध थे, बडी खरीद होने से कम्प्यूटर कंपनी को प्रोग्राम हिंदी में बनाने की मुसीबत स्वीकार करनी पडी, और ये बन रहे हैं।"[1]

हिंदी टंकण की समस्या भी कुछ हद तक तकनीकी समस्या ही है। हिंदी टंकण आसान बनाने के लिए संगणक के कुंजीपटल पर मूलतः अंग्रेजी अक्षरों के साथ कुंजी के आधे भाग में देवनागरी के अक्षर बनाए जाने चाहिए, जिससे हिंदी टंकण, आता भी न हो तो अक्षरों को देख-देखकर टंकण करने में आसानी हो। अलग से हिंदी अक्षरों को चिपकाना न पड़े। जिस प्रकार हर कंपनी का एक ही अंग्रेजी मानक कुंजीपटल होता है, उसीप्रकार हिंदी का भी मानक कुंजीपटल बनाना होगा। आज हर कंपनी का अलग-अलग कुंजीपटल उपलब्ध होने के कारण हिंदी टंकण करना कठिन हो गया है।

४.६ हिंदी की आदत डालने के प्रयास :

शिक्षा के ढाँचे में परिवर्तन के बाद नई हिंदी-शिक्षित पीढ़ी के तैयार होने तक क्या सभी नागरिक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? नहीं। हमें अपनी ओर से हिंदी की आदत डालने के प्रयास करने चाहिए। इसके लिए दूरदर्शन पर हिंदी में प्रसारित वार्ताओं को सुनना, हिंदी समाचार-पत्र पढ़ना, अपने टेबुल के कामकाज में उपयोगी कार्यालयीन शब्दों की सूची अपने पास रखकर मूल मसौदा हिंदी में तैयार करने के प्रयास करने चाहिए। शुरु-शुरु में हिंदी शब्द के साथ अंग्रेजी शब्द कोष्ठक में दिए जा सकते हैं। एक बार सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को हिंदी शब्द अवगत हो जाएंगे तो हिंदी न आने अथवा न समझने का प्रश्न अपनेआप हल हो जाएगा।

किंतु यह सब करने के लिए राजभाषा के प्रति अपने कर्तव्य को समझ लेना होगा। हिंदी विरोधी भावना को त्याग देना होगा। विरोध के लिए विरोध करना छोड़कर राजभाषा की परिभाषा को समझने का यत्न करना चाहिए। राजभाषा के प्रति अपने कर्तव्य को पूरे मनोयोग से समझ लेने के पश्चात मत-परिवर्तन को खुलेआम स्वीकारने का साहस भी होना चाहिए। क्योंकि अपने मत का पक्का होना यह ऊँची बात है। इसीलिए कभी-कभी मत परिवर्तन के पश्चात भी विरोध के लिए विरोध की भावना का भी परिचय मिलता है।

---

१. हरिबाबू कंसल-राजभाषा हिंदी संघर्षों के बीच, पृष्ठ-२६४

मत-परिवर्तन के बाद की सीढ़ी है व्यवहार। हिंदी व्यवहार में लाते समय आनेवाली समस्याओं को सुलझाने के संघटित प्रयास होने चाहिए। समस्याओं की ओर दिशा-निर्देश करते रहने के साथ-साथ उनके समाधान ढूँढ़ने के व्यक्तिगत प्रयास भी किए जाने चाहिए। वैसे हिंदी अनुराग जगने के पश्चात एवं मत परिवर्तन के बाद हिंदी में काम करना टालने की प्रवृत्ति के कारण की जानेवाली अधिकांश बहानेबाजी अपनेआप बंद हो जाएगी। फिर भी कुछ समस्याओं को सुलझाने की आवश्यकता रहेगी ही।

शिक्षा के ढाँचे में परिवर्तन के प्रयास इस पीढ़ी को ही करने हैं। किंतु इस परिवर्तन की राह तकते रहकर परमुखापेक्षी बने रहने से हिंदी में काम करने की आदत डालना अधिक आसान एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है।

४.७ स्वयंप्रेरणा से कार्यारंभ :

हर कोई चाहता है कि ऐसे कार्य का आरंभ कोई दूसरा करें। जिला स्तर का कार्यालय परिमंडल कार्यालय की ओर ऊँगली उठाता है कि परिमंडल कार्यालय से कहाँ हिंदी में पत्र आते हैं? उधर से आने दीजिए फिर हम देखेंगे। परिमंडल कार्यालय मंत्रालयों की ओर ऊँगली उठाएगा। इन बातों को रोककर, हर कार्यालय को अपने मुख्यालय की ओर देखते रहना छोड़कर स्वयंप्रेरित होकर हिंदी में कामकाज करने का सूत्रपात करना चाहिए। मार्गदर्शन के लिए परिमंडल कार्यालय या मुख्यालय का मुँह तकना त्यागकर संविधान में स्थित हिंदी के अधिकार में जो प्रावधान हैं, उनका एवं गृह मंत्रालय, राजभाषा की ओर से प्रसारित राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियमों का अनुसरण करते हुए कार्य में जुट जाना चाहिए।

स्वयंप्रेरणा से हिंदी-कार्यान्वयन का कार्यारंभ करते समय सबसे पहले तो हिंदी के पदों पर नियुक्ति के पत्र अंग्रेजी में तैयार किए जाते हैं, उन्हें बंद करना निहायत जरूरी है। उन्हें हिंदी में बनाना चाहिए। सभी कार्यालयों में हिंदी-कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग खोले गए हैं और उसी अनुभाग के नियुक्तियों के पत्र अंग्रेजी में, यह बहुत बड़ी विडंबना है। जिसका किसीको बिलकुल अफसोस नहीं होता। इस प्रकार के कार्य से राजभाषा का कितना उपहास होता है तथा हिंदी-कार्यान्वयन कितना खोखला है इस बात का तीव्रता से अनुभव हो जाता है। नियुक्ति के पत्र हिंदी में बनाना बिलकुल आसान है। वास्तव में हिंदी-कार्यान्वयन का सूत्रपात यही से होना चाहिए। किंतु हिंदी-पदों पर नियुक्तियाँ

परिमंडल कार्यालय से होती हैं। किंतु वहाँ काम नहीं होता, इसका अर्थ यह नहीं कि जिला स्तर पर भी काम न हो । जिला स्तर से अगर परिमंडल कार्यालय को कोई पत्र हिंदी में भेजा जाएगा तो हिंदी पत्र का उत्तर हिंदी में भेजना चाहिए-इस नियम के कारण उस पत्र का उत्तर हिंदी में ही प्राप्त होगा। इस प्रकार धीरे-धीरे हिंदी पत्राचार का प्रतिशत बढ़ता जाएगा।

४.८ अंग्रेजी शब्दों का परित्याग :

एक काल था जब अंग्रेजों ने अपना शासन और अपनी भाषा हम पर लादी थी। १५ अगस्त, १९४७ में हम अंग्रेजों के शासन से तो मुक्त हो गए, किंतु अंग्रेजी भाषा अभी तक हम पर शासन कर रही है। सभी भारतीय भाषाएँ अंग्रेजी के प्रभाव से ही ग्रस्त नहीं हैं, तो दबाव के तले बुरी तरह से पिचक रही हैं। अंग्रेजी हमारी जिव्हा पर ऐसी नर्तन कर रही है कि मातृभाषा के आसान शब्द भी हमें झट से याद नहीं आते। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि अंग्रेजी पढ़ना, लिखना तथा बोलना सम्मान, प्रतिष्ठा तथा आधुनिकता का संकेत माना जाता है। इस मानसिकता से छुटकारा पाने के प्रयास पूर्ण गंभीरता से करने होंगे। आज ऐसा लगता है कि यही परिस्थिति रही तो धीरे-धीरे भारतीय भाषाओं के हजारों शब्द लुप्त हो जाएंगे।

राजभाषा को इस देश में अगर प्रतिष्ठित करना है तो जागरुकता से अंग्रेजी शब्दों का परित्याग करना होगा। अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा की शृंखलाएँ तोड़नी होगी। वार्तालाप के बीच-बीच में एकाध अंग्रेजी शब्द का प्रयोग करने से आगे बढ़कर दो-एक अंग्रेजी वाक्यों का प्रयोग करने की प्रथा धीरे-धीरे बढ़ी। अब कहीं-कहीं वार्तालाप में अंग्रेजी अधिक और हिंदी अथवा मातृभाषा का प्रयोग कम होता हुआ दिखाई देता है। जिस उन्नति की कल्पना हिंदी के लिए की गई थी, वह अंग्रेजी के अधिकार में हो गई है। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने की आवश्यकता है। उसके लिए व्यक्तिगत और संघटित प्रयास होने चाहिए। अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग का मोह त्यागकर विशेष सावधान होकर उनके स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आवश्यक है। जैसे-जैसे अंग्रेजी शब्द अपनी जिव्हा और दिमाग से हटते जाएंगे वैसे-वैसे हिंदी शब्द याद आएंगे और हिंदी-कार्यान्वियन सुचारु रूप से चलता जाएगा।

४.९ हिंदी-पत्राचार बढ़ाने के प्रयास :

किसी अंग्रेजी पत्र का हिंदी में अनुवाद करने के बजाए पत्र का मसौदा मूलतः हिंदी में ही

बनाने से वह कार्य हिंदी के स्वरूप के अधिक अनुकूल होगा। कहीं से हिंदी पत्र आने की प्रतीक्षा करने की अपेक्षा हर सरकारी कार्यालय को स्वयं हिंदी पत्राचार बढ़ाना चाहिए। हिंदी पत्राचार का आरंभ स्थानांतरण, पदोन्नति आदि से संबंधित पत्राचार पूरे निश्चय के साथ हिंदी में करने से किया जा सकता है। प्रशासन अनुभाग से संबंधित इस प्रकार के अनेक काम-जैसे सेवा-पंजी में प्रविष्टि, सेवानिवृत्ति का आदेश, छुट्टी आदेश आदि हिंदी में किए जा सकते हैं। अन्य अनुभागों को प्रशासन अनुभाग से हिंदी में पत्र भेजे जाएंगे तो हिंदी पत्र का उत्तर हिंदी में देना चाहिए, हिंदी-कार्यान्वयन के इस नियम के अंतर्गत इन पत्रों से संबंधित आवक पत्राचार भी हिंदी में करवाया जा सकता है। धीरे-धीरे अन्य अनुभागों को अन्य पत्र भी हिंदी में लिखने की प्रेरणा अपनेआप मिलती जाएगी। हिंदी-कार्यान्वयन थोड़ासा कष्ट साध्य है, किंतु असाध्य कार्य नहीं है। रह-रहकर हिंदी-कार्यान्वयन के लिए राजभाषा के प्रति मन में प्रेम, श्रद्धा एवं सम्मान जागने की बात ही उभरकर सामने आ जाती है। राजभाषा प्रेम जागृत हो जाएगा तो मन अपनेआप निश्चय करेगा कि कार्यालयीन काम हिंदी में किया जाएगा। फिर हिंदी पत्राचार के प्रतिशत में वृद्धि होने में अधिक समय नहीं लगेगा। अतः निश्चय एवं पूर्ण विश्वास के साथ हिंदी पत्राचार बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

४.१० प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों के लिए हिंदी-कामकाज अनिवार्य किया जाए :

वैसे देखा जाय तो राजभाषा का प्रयोग करने के लिए देशवासियों को बाध्य करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होनी चाहिए। किंतु वास्तविकता यह है कि अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी एक वेतन-वृद्धि की अभिलाषा से हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ आदि प्रशिक्षण लेते हैं। किंतु हिंदी में गलती से भी काम नहीं करते। इसके विपरीत कुछ अधिकारी और कर्मचारी निडरता से राजभाषा का मजाक उड़ाते हैं। इस प्रकार से हिंदी प्रशिक्षण में देश के हजारों रुपए खर्च होते हैं और हिंदी कामकाज के नाम पर तो कुछ नहीं होता। सालों से इस प्रकार की बातें बिना किसी रोक-टोक से चलती आ रही हैं। इन बातों पर कहीं भी-किसी स्तर पर भी, किसी प्रकार का अंकुश लगाने के प्रयास नहीं होते। चल रहा है तो चलने दो। प्रशिक्षण देना ही चाहिए तो देते रहेंगे। इस देश के अनेक शिक्षित नागरिक गर्व से कहते हैं कि उन्हें हिंदी नहीं आती।

अतः हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ तथा टंकण प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को उनके रोजमर्रा के कार्यालयीन कामकाज में से ५० प्रतिशत काम हिंदी में करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए, जिससे

हिंदी-कार्यान्वयन की प्रतिशत में वृद्धि हो जाए।

४.११ हिंदीकरण के फायदों से अवगत किया जाए :

आमतौर पर पूरे विश्व का माना हुआ तत्त्व है कि-किसी भी राष्ट्र की राजभाषा उसी राष्ट्र की ही कोई बहुप्रचलित भाषा हो सकती है, कोई पराई भाषा नहीं। क्योंकि उस देश के बड़ी संख्या में नागरिक उस भाषा को अच्छीतरह से जानते हैं। किसी विदेशी भाषा को किस हद तक तथा कितने नागरिक जान सकेंगे? अतः इस तत्त्व के आधार पर भारत देश की राजभाषा इसी देश की संविधान की अष्टम सूची में सम्मिलित १७ भाषाओं में से ही कोई एक भाषा हो सकती है, अंग्रेजी नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि हिंदी अधिकांश जनता की भाषा होने के कारण हिंदीकरण से देश की सामान्य जनता तक कार्यालयीन कामकाज पहुँचेगा। यही हिंदीकरण का पहला और ठोस फायदा है।

एक राष्ट्र को राजभाषा से वह फायदा भी मिल सकता है, जो कि एक राष्ट्रध्वज और एक राष्ट्रगीत होने से मिल सकता है। अतः इस बहुभाषी देश में हिंदी को राष्ट्रीय एकात्मता के प्रतीक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। विश्व के मानचित्र में भारत को भाषिक एकता के उत्तम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास हमें करने चाहिए।

हिंदी देश की संपर्क भाषा है। हिंदीकरण से देश की संपर्क भाषा सुदृढ बनती जाएगी। इस देश के हर राज्य की अलग-अलग भाषाएँ हैं। इन विविध भाषा-भाषियों को आपसी व्यवहार एवं संपर्क के लिए एक भाषा की आवश्यकता है। व्यापार, कला, क्रीड़ा, साहित्य, अर्थ, राजनीति, न्याय, सामाजिक व्यवहारों में सुसूत्रता लाने के लिए एक भाषा की आवश्यकता है। संपर्क भाषा की यह आवश्यकता हिंदी ने काफी पुराने जमाने से पूरी की है। संस्कृत, प्राकृत के बाद हिंदी ही संपर्क भाषा के रूप में उभरती चली गई। क्योंकि भाषा का संपर्क भाषा रूप जन-मानस की स्वीकृति के साथ अपनेआप पनपता जाता है। उसे राजनीतिज्ञों एवं उच्च-पदस्थों के आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं होती। अतः देश की संपर्क भाषा के रूप में पल्लवित-पुष्पित राजभाषा हिंदी को प्रशासन, शिक्षा तथा विधि में उसका उचित स्थान मिलना अत्यंत आवश्यक है।

अंग्रेजी की तुलना में यहाँ के नागरिकों को हिंदी सीखना अधिक सरल है। अधिकांश भारतीय भाषाओं का निर्माण संस्कृत से हुआ है अथवा उनपर संस्कृत गहरा प्रभाव है। हिंदी की जननी

भी संस्कृत होने के कारण हिंदी सीखना बिलकुल आसान है। हिंदी के अनेक शब्द अधिकांश भाषा-भाषियों को वैसे भी ज्ञात होते ही हैं। सभी भारतीय भाषाओं की सांस्कृतिक विरासत भी एक ही होने के कारण अनेक नाम-जैसे राम, कृष्ण, बलराम, पार्थ, पवन, सरिता, सविता, संगीता, शीला, पुष्पा, परिमल, अरुणा आदि सबको ज्ञात हैं ही। इन नामों में छिपे शब्द-सविता-सूरज, शील-चारित्र्य, सुनित-नीतिवान, पुष्प-फूल, परिमल-सुगंध, पवन-वायु/हवा, सरिता-नदी, संगीत-संगीत, अरुण-प्रातः/प्रभात/सुबह आदि अनेक शब्द सीखना अत्यंत सुगम है।

अतः देश के अधिकांश जनता की भाषा, राष्ट्रीय एकात्मता का प्रतीक, सशक्त संपर्क भाषा एवं सीखने के लिए सुगम भाषा होने के कारण हिंदीकरण का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है।

४.१२ सतर्कता न बरतने पर होनेवाली स्थिति :

पूरी सतर्कता से अगर हिंदी-कार्यान्वियन नहीं किया गया तो हिंदी को राजभाषा का पद कभी प्राप्त नहीं होगा। विश्व के मानचित्र में अपनी ही राजभाषा की उपेक्षा करके पराई भाषा का जयकार करनेवाले देश के रूप में भारत का नाम प्रथम स्थान पर होगा।

संस्कृति भाषा का अभिन्न अंग होती है। अगर हिंदी को राजभाषा का स्वरूप ठीक तरह से प्राप्त नहीं हो सका तो देश की संस्कृति पर भी आँच आ सकती है। अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा महँगी होने तथा सरकारी अंग्रेजी पाठशालाएँ न होने के कारण निम्न-वर्गीय जनता उस शिक्षा से वंचित रह जाएगी और परंपरा से उच्च-पद मात्र उच्च-वर्गियों की धरोहर बनकर रह जाएंगे।

हिंदी संपर्क भाषा के रूप में निखर रही है। किंतु राजभाषा के रूप में वह दबी हुई है। इससे विश्व में देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँच रही है। हिंदी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं और भविष्य में खर्च होते रहेंगे। इससे देश की अर्थ-व्यवस्था पर दबाव पड़ता है, किंतु राजभाषा के पक्ष में कोई फायदा नहीं।

अंग्रेजी की तुलना में हिंदी देश के अधिकांश नागरिक जानते हैं। दूरदर्शन एवं चित्रपटों के कारण हिंदी देश के घर-घर में पहुँच रही है। उस तुलना में अंग्रेजी कोई नहीं जानता। इस कारण अंग्रेजी में राजकाज चलाने से आम जनता को प्रशासन में आवश्यक पारदर्शिता नहीं दिखाई देती। क्योंकि वे

समझ नहीं पाते कि संसद एवं विधान सभा में क्या हो रहा है? संसद सदस्य जब अंग्रेजी में बोलने लगते हैं तब आम जनता झट से कहती हैं-ये लोग हिंदी में क्यों नहीं बोलते? आम जनता जानना चाहती है कि देश में संसद में क्या हो रहा है? किंतु वहाँ अधिकांश कार्य अंग्रेजी में चलते हैं, जिससे प्रशासन की पारदर्शिता के बारे में जनता को शक होता है। विश्व में सूरीनाम एक ही ऐसा देश है, जहाँ हिंदी जाने बिना संसद-सदस्य बनना मना है।

४.१३ निरीक्षण जोश, उत्साह तथा सत्यान्वेषण के साथ हो :

सरकारी कार्यालयों, निगमो, संगठनों में हिंदी का जो कार्यान्वयन होता है, वह सुचारु रूप से चलता है कि नहीं, इसका निरीक्षण संसदीय राजभाषा समिति करती है। किंतु इस समिति की ओर से किया जानेवाला निरीक्षण थोथा नाटक प्रतीत होता है। अगर आज भी सरकारी कार्यालयों में १० से २० प्रतिशत ही हिंदी पत्राचार होते हैं, इससे पता चलता है कि यह निरीक्षण, कितने जोश एवं उत्साह के साथ होता है । इसके साथ ही हिंदी-कार्यान्वयन के निरीक्षण में स्थित सत्यान्वेषण पर भी प्रश्नचिह्न लग जाता है। अतः सभी सरकारी कार्यालयों में होनेवाले हिंदी-कार्यान्वयन का निरीक्षण पूरे जोश, उत्साह तथा प्रमुखता सत्यान्वेषण के साथ होना आवश्यक है।

४.१४ हिंदी अनुभाग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण :

दूरसंचार में नियुक्त किए जानेवाले लिपिक, आशुलिपिक, कनिष्ठ दूरसंचार अभियंता, दूरध्वनि प्रचालक आदि सभी पदों पर नियुक्तियाँ पहले प्रशिक्षण देकर ही की जाती हैं। किंतु हिंदी अनुभाग के पद-हिंदी अधिकारी तथा हिंदी अनुवादक पदों पर नियुक्ति से पहले किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। कोल्हापुर दूरसंचार के हिंदी अनुभाग में दि. ३० जुलाई, २००१ से नव-नियुक्त कनिष्ठ हिंदी अनुवादक कहना है- "नियुक्ति से पहले मुझे कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। किंतु नियुक्ति के पश्चात परिमंडल कार्यालय की ओर से तीन महीनें का हिंदी अनुवाद का प्रशिक्षण दिया जाता है। उस अवसर का मैं अवश्य लाभ उठाऊँगा।"[१]

हिंदी अनुभाग में नियुवत कर्मचारियों को हिंदी के प्रचार एवं प्रसार का कार्य निभाना होता

---

१. परिशिष्ट-५

है। इसलिए राजभाषा हिंदी के लिए संविधान में किए गए प्रावधान, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से प्रकाशित हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम आदि के प्रशिक्षण के साथ उनमें राजभाषा के प्रति श्रद्धा और भक्ति का निर्माण करना भी बेहद जरुरी है। ताकि आस-पास के व्यक्ति एवं अधिकारी और कर्मचारी विरोध करें या मजाक उड़ाए या हिंदी में कामकाज करने में टालमटोल करें, तो भी वह कर्मचारी इन सब बातों का कोई समाधान ढूँढ सकें तथा इन सब विरोधों को बिना मायूस हुए सहने की शक्ति उसमें निर्माण हो। हिंदी-कार्यान्वयन का कार्य जीवित कार्य मानकर करने की इच्छा कर्मचारियों में निर्माण होना आवश्यक है। इस इच्छा को प्रशिक्षण द्वारा जागृत किया जा सकता है।

कोल्हापुर दूरसंचार के उप-महाप्रबंधक(क्षेत्र) श्री. एन.एस.गुप्तेजी का कहना है-"हिंदी का प्रचार-प्रसार करनेवालों के मन में लगाव होना चाहिए। मात्र क्वालिफिकेशन हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में सहायक नहीं हो सकता। कुछ स्थानों पर मैंने देखा है कि जो अधिकारी और कहीं काम नहीं कर सकता तो उसको हिंदी टेबुल का काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है। फिर कैसे काम हो सकेगा? पचास साल में क्या हुआ है? काबिल व्यक्तियों की (जिनके पास सभी से संपर्क करके हिंदी कामकाज बढ़ाने की टॅक्ट हो) हिंदी के पदों पर नियुक्तियाँ की जानी चाहिए।"[1]

अतः हिंदी अनुभाग में नियुक्त कर्मचारियों में इस कार्य के प्रति लगाव निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। सरकार को एक मिशन की तरह इस कार्य को चलाना चाहिए। इसलिए हिंदी अनुभाग में नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना अधिक आवश्यक बन जाता है।

४.१५ नीतियों का अनुपालन न करने पर दंडविधान :

कोल्हापुर दूरसंचार के उप-महाप्रबंधक(क्षेत्र) का कहना है-"क्या मात्र हस्ताक्षर हिंदी में करने से अथवा हिंदी मुहर लगाने से हिंदी के कामकाज को बढ़ाना मिल सकता है? जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। जबरन लिखवाने से पहले बोलते रहना चाहिए। बाद में लोग अपनेआप लिखना शुरु करेंगे । नियम बनाकर बाध्य नहीं करना चाहिए। लोग जो करें, अपने दिल से, मन से करें।"[2]

---

१. परिशिष्ट-२

२. -वही -

किंतु हिंदी को राजभाषा घोषित किया है तो अंग्रेजी को हटाकर उसके स्थान पर हिंदी लानी ही होगी। फिर उसके कार्यान्वयन की योजना बनाना, नियम बनाना तो आवश्यक है ही। राजभाषा कार्यान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत जो नीतियाँ घोषित की गई हैं, उनका अनुपालन करना नागरिकों का कर्तव्य है। नियम और अनेक कार्यक्रम बनाने के पश्चात सिर्फ दस-बीस प्रतिशत हिंदी-कामकाज होता है, तब नागरिक अपनेआप करेंगे, दिल-से, मन-से करेंगे पर छोड़ दिया जाएगा तो ५ प्रतिशत भी हिंदी-कार्यान्वयन नहीं होगा।

हिंदी-कार्यान्वयन के अन्य प्रयास तो करने हैं ही। किंतु यह भी त्रिकालाबाधित सत्य है कि शासन बिना अनुशासन नहीं। राजभाषा घोषित करने के पश्चात भी कार्यालयीन कामकाज में हिंदी का प्रयोग न करना या हिंदी का विरोध करना अनुशासनहीनता ही है। तात्विक दृष्टिकोण से यह राष्ट्रीय-कर्तव्य की अवहेलना है। अनपढ़ नागरिकों को उनकी मातृभाषा ही पढ़नी-लिखनी नहीं आती, तब उनसे राजभाषा के ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखी जा सकती। राजभाषा का कार्यान्वयन देश के शिक्षित नागरिकों पर ही निर्भर है। इन लोगों को इस बात का ज्ञान होता है कि प्रशासनिक नियमों का क्या महत्त्व हैं तथा उनका पालन कितना आवश्यक है और इन नियमों का अनुपालन न करना कितना दंडनीय है अथवा नहीं। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार तथा नागरिक दोनों अपना कर्तव्य या तो समझते नहीं अथवा इनकी ओर से लापरवाह हैं अथवा जान-बूझकर इन बातों को समझना नहीं चाहते।

साम से कोई समझता नहीं, दाम लेकर भी कोई मुकरता है और हिंदी में काम नहीं करता, तो उसका अगला कदम दंड-विधान ही है। अतः राजभाषा नीतियों के पालन में टालमटोल करनेवाले, इस देश के नागरिक होकर भी राजभाषा का विरोध करनेवालों को उचित दंड या शासन करने का समय अब आ गया है। राजभाषा क्या है? उसका राष्ट्र के लिए महत्त्व क्या है? उसके वैधानिक प्रावधान, उनमें स्थित विसंगतियाँ, हिंदी के कार्यान्वयन के लिए बनाए गए दिखावटी और खोखले नियम, राजभाषा के नाम पर व्यर्थ खर्च होनेवाले देश के करोड़ों रुपये और हिंदी-कार्यान्वयन का ढोंग। मुख्यतः राजभाषा कार्यान्वयन में आनेवाली समस्याओं में से अधिकांश समस्याएँ समस्याएँ न होकर कष्ट बचाने के लिए की गई बहानेबाजी मात्र है। जो इन सारी बातों को गहराई से जान लेगा, वह इस बात से सहमत होगा कि राजभाषा नीतियों का अनुपालन करने में टालमटोल तथा विरोध करनेवालों को दंड मिलना ही चाहिए।

राजभाषा ही नहीं तो देश से संबंधित किसी भी बात का अपमान और उपहास नहीं करना चाहिए, यह हर देश का अलिखित कानून होता है। संविधान के अनुसार हिंदी को राजभाषा पद का अधिकार मिला है। उस पद की अवहेलना करनेवालों को दंडित करने का समय अब आ गया है। अतः सांम, दाम के पश्चात नीतियों का अनुपालन करने की अनिच्छा रखनेवालों को उचित दंड विधान का प्रावधान होना समय की माँग बन गया है।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त हिंदी-कार्यान्वयन की समस्याओं के अनेक समाधानों का विवेचन-विश्लेषण करने के पश्चात निष्कर्षतः परिलक्षित होता है कि राष्ट्रभाषा का अभिमान न होना यह सबसे बड़ी समस्या होने के कारण अनेक समस्याओं का रामबाण इलाज राष्ट्रभाषाभिमान जागृति ही है। राजभाषा का विरोध करते समय लोगों में अपराध बोध का अभाव है। इस जड़ पर प्रहार करने से हिंदी विरोध का वृक्ष समूल उखड़कर गिर जाएगा। इससे समस्याओं के जो अन्य समाधान बताएँ हैं, उनमें से-कार्यान्वयन न करने पर दंड विधान की भी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। हिंदीकरण के फायदों से अवगत कराना, सतर्कता न बरतने पर होनेवाली स्थिति से अवगत कराना आदि समाधानों का प्रयोग करने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः आज जो कार्यालयों में काम करते हैं, उन अधिकारी और कर्मचारियों में राजभाषाभिमान की जागृति करनी चाहिए। किंतु नई पीढ़ी को १ली कक्षा से ही राजभाषा का अभ्यास कराते हुए बचपन से ही उन पर राजभाषाभिमान के संस्कार करने होंगे। इसके लिए शिक्षा के ढाँचे में परिवर्तन की आवश्यकता है। स्नातक-स्नातकोत्तर पढ़ाई में भी हिंदी विषय अनिवार्य करना चाहिए। ताकि अगली पीढ़ी हिंदी का पूर्ण प्रशिक्षण पाकर ही विधि, शिक्षा तथा प्रशासन में उतरे। उन्हें बाद में कार्यालयों में प्रवीण, प्राज्ञ जैसे प्रशिक्षण देने की आवश्यकता न रहे।

राष्ट्रभाषाभिमान के साथ-साथ वैधानिक प्रावधानों में सुधार और सरकारी नीतियों को ठोस बनाना भी अत्यंत आवश्यक है। संविधान ने ही हिंदी को राजभाषा का पद देकर अनुच्छेद ३४३ की तीसरी धारा द्वारा उसके सारे अधिकार छीन लिए हैं, उन्हें वापस लौटाने के लिए संविधान के राजभाषा संबंधी प्रावधानों में संशोधन करना अत्यावश्यक है। ताकि संविधान द्वारा अंग्रेजी को जो अतिरिक्त बढ़ावा प्राप्त हुआ है वह कम हो जाय। हिंदी-कार्यान्वयन को सही रूप में अंजाम देना हो तो सरकार की ओर से यह पहला कदम रखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि हिंदी-कार्यान्वयन के रथ को सीधे संविधान

के परिवर्तित नूतन प्रावधानों के अश्वों द्वारा खींचा जाय। उसकी गति इतनी तेज हो जाय कि दुनिया की नजरें अनायास भारत की विशाल भाषीय क्षमता एवं एकात्मता का सुंदर दृश्य देखकर चकाचौंध हो जाय।

***